

धारा-107 दं०प्र०सं०

सत्र / 2017

माध्यस्थता सं०-

आदेश फलक

वाद संख्या-

186/017

वासुदेव पादव को

— दोषदा

बनाम

वासुदेव पादव को

— दोषदा

09 / 12 / 2017

न्यायालय—अनुमंडल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर।

आदेश एवं न्यायालय का हस्ताक्षर

अभिलेख उपस्थापित, अवलोकन
किया। उभय पक्ष लगातार
अनुपस्थित। इससे प्रतीत होता है
कि इस वाद में उभय पक्ष के बीच
कोई विवाद नहीं है। शांति भंग होने
की सूचना अप्राप्त।

अतः इस वाद को राष्ट्रीय
लोक अदालत के माध्यम से अग्रोतर
कार्रवाई समाप्त की जाती है।

सदस्य

सदस्य

